-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **व्यक्ति को फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले वांछित अभियुक्त को थाना बबेरु पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशाहदेही पर घटना मे प्रयुक्त फरसा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.07.2026 को थाना बबेरु पुलिस द्वारा एक व्यक्ति पर फरसे से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 20.12.2025 को थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम मण्ठा के रहने वाले अमर सिंह द्वारा सूचना दी गई कि कुछ लोगो के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए फरसे से हमला कर उनके भतीजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बबेरु पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज एक अभियुक्त को बबेरु बस अड्डा से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की निशाहदेही पर घटना मे प्रयुक्त फरसा बरामद हुआ है। अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

बरामदगी-

- 01 फरसा लोहे का (घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जन्मेजय पुत्र कालिका निवासी ग्राम भभुबा थाना मरका जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 527/2025 धारा 109/118(1)/352/351(1)/3(5) बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रामेन्द्र सिंह
2. कां0 रवि कुमार